प्रेषक

आयुक्त एवं विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल एवं सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

दिनांक चण्डीगढ़, 18 मार्च, 1985

विषय :—हरियाणा राज्य के सभी कार्यालयों में मूवमैन्ट रजिस्टर की व्यवस्था करना ।

महोदय,

काफी समय से राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि अनेक सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कार्यवश अथवा व्यक्तिगत कार्यों से अपने कार्यालयों से चले जाते हैं। परन्तु इस प्रकार से जाने बारे उनके कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं होता । यह भी पाया गया है कि कई बार कुछ सरकारी कर्मचारी तो बिना किसी आवश्यक कार्य के ही इधर-उधर चले जाते हैं। अतः राज्य के सभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की गतिविधियों को नियमित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्यालय में एक मूवमैंट रजिस्टर रखा जाए और जिस किसी कर्मचारी/अधिकारी को अपने कार्यालय से अनुपस्थित हो कर किसी अन्य स्थान पर जाना हो तो वह इस रजिस्टर में प्रविष्टि कर के जाए। यदि किसी कर्मचारी ने अगले दिन कार्यालय में न आना हो तथा अपने निवास स्थान से ही सरकारी कार्यवश सीधे किसी अन्य स्थान पर जाना हो तो उसे इस बारे आवश्यक प्रविष्टि एक दिन पहले ही मूवमैंट रजिस्टर में कर देनी चाहिए। यह रजिस्टर कार्यालय अधीक्षक/अधिकारी द्वारा निम्नलिखित परफार्म में रखा जाए।

कार्यालय छोड़ने की तिथि तथा समय	कर्मचारी का नाम	स्थान जहां पर जाना हो	उद्देश्य
1	2	3	4

2. कृपया इसकी पावती भेजें ।

हस्ता/–
उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते: आयुक्त एवं विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

No. 4/5/85 1 AR